संकल्प संख्या–06 / वि० 9–55 / 2008 514

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

संकल्प

पटना, दिनांक 03/04/013

विषयः– **राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए जन सहयोग से भूमि एवं भवन प्राप्त करने के संबंध में।**

राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के महत्वाकांक्षी उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु राज्य में 15,000(पन्द्रह हजार) नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए है। बिहार में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह सबसे महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी कदम है। कई नवसृजित विद्यालयों हेतु जमीन उपलब्ध हो गई है, जिनमें भवन निर्माण किया जा रहा है, परंतु अब भी कई नवसृजित विद्यालय भूमिहीन एवं भवनहीन है। राज्य में बड़ी संख्या में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण एवं ऐसे पुराने प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय जिनके भवन वर्त्तमान में जीर्ण–शीर्ण हो गए हैं या कतिपय कारणों से जिनमें पर्याप्त भूमि नहीं रह गई है, के लिए भूमि की आवश्यकता है।

अतएव राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए जन सहयोग से भूमि एवं भवन प्राप्त करने हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 3517 दिनांक 06.07.78 एवं संकल्प संख्या 1535 दिनांक 23.07.1981 के प्रावधानों को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रावधान किये जाते है :–

(क) नए प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम 20 डिसमील भूमि दान देनेवाले दानदाता अथवा उनके द्वारा इच्छित व्यक्ति के नाम पर प्राथमिक विद्यालय का नाम रखा जाएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के लिए न्यूनतम आधा एकड़ भूमि देनेवाले भूमिदाता के नाम पर अथवा उनके द्वारा इच्छित व्यक्ति के नाम पर मध्य विद्यालय का नाम रखा जाय यदि पूर्व से वह विद्यालय किसी के नाम पर नहीं हो। उक्त माप से कम भूमि देने वाले का नाम विद्यालय के मुख्य द्वार के बगल में शिलापट्ट पर अंकित किया जाएगा।

(ख) प्राथमिक विद्यालय को यदि सरकारी भूमि उपलब्ध है और भूमिदाता के द्वारा न्यूनतम तीन पक्का कमरों का बरामदा सहित निर्माण सरकार के माप–दण्ड के अनुसार कराया जाता है तो भवनदाता के नाम पर विद्यालय का नामकरण किया जाएगा। इसी प्रकार मध्य विद्यालय में सरकार के निर्धारित माप–दण्ड के अनुसार बरामदा सहित पाँच पक्के कमरों का निर्माण कराने वाले भवनदाता के नाम पर विद्यालय का नाम रखा जाएगा। एक कमरा या दो कमरे का निर्माण कराने वाले व्यक्ति के नाम का शिलापट्ट कमरे के दिवार पर लगाया जाएगा।

(ग) पुराने मामलों के संदर्भ में भूमि/भवन दान करने वाले भूमिदाता/भवनदाता के नाम पर यदि विद्यालय का नामाकरण नहीं हुआ है तो वैसे मामले में यदि दानकर्त्ता स्वंय जीवित हो और विद्यालय का नामाकरण स्वंय या इच्छित व्यक्ति के नाम से करवाना चाहता हो तो उनके आवेदन पर उनके इच्छित नाम पर विद्यालय का नामकरा उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

(घ) विद्यालय को भूमि देने वाले अथवा विद्यालय के भवन निर्माण कराने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई विवाद होने अथवा नामकरण के संबंध में विवाद होने पर संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जिला पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 1000 प्रतियाँ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

प्रधान सचिव, 1/4/13
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 6/वि0 9–55/2008-514/ पटना, दिनांक :– 03/04/2013

प्रतिलिपि :– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक(प्रा0शि0), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक विद्यालय निरीक्षिका, बिहार/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव, 1/4/13
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 6/वि0 9–55/2008-514/ पटना, दिनांक :– 03/04/2013

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
1/4/13